

**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज०)**

पीठासीन अधिकारी :- कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं०:-55/2015

(223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. भवानी पुत्र श्री सूरज जाति मीणा निवासी भैरू का चबूतरा अलवर तहसील व जिला अलवर ।

.....प्रतिवादी/अपीलांत

बनाम

1. श्रीमती दुर्गादेवी पत्नि श्री गिरधारीलाल जाति मीणा निवासी रूपबास अलवर तहसील व जिला अलवर ।  
.....वाबती/ असल रेस्पोजेन्ट
2. अमरसिंह पुत्र श्री सूरज जाति मीणा,  
3. श्रीमती सुशीला पत्नि श्री शिवकुमार मीणा,  
4. श्रीमती कमला पत्नी श्री बाबूलाल पुत्री श्री सूरज जाति मीणा निवासी भैरू का चबूतरा, अलवर ।  
5. मदनलाल पुत्र श्री भौरेलाल जाति मीणा निवासी रूपबास अलवर तहसील व जिला अलवर ।  
.....प्रतिवादी/तर० रेस्पोजेन्ट
6. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील व जिला अलवर ।  
.....लैण्ड होल्डर/प्रति० रेस्पोजेन्ट

उपस्थित :-

1. श्री आनन्दसिंह, अभिभाषक अपीलांत ।  
2. असल रेस्पोजेन्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।

∴ निर्णय ∴

दिनांक :-28.11.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2011 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/असल रेस्पो० ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख० नं० 1061 रकबा 27 ऐयर, 1063 रकबा 37 ऐयर, 1068 रकबा 58 ऐयर, 1096 रकबा 52 ऐयर, 1097 रकबा 49 ऐयर कुल कित्ता 5 रकबा 2.23 है० व आराजी ख० नं० 1060 रकबा 1 ऐयर वाके भूगोर जिला अलवर में स्थित है जो आराजी विवादित है । ख० नं० 1060 में मिन वादी का 1/3 हिस्सा व अमरसिंह प्रतिवादी का 1/6 हिस्सा व भवानी, मु० कमला प्रतिवादीगण का स.भा. 1/3 व मदनलाल प्रतिवादी का 1/6 भाग व ख० नं० 1061, 1063, 1069, 1096, 1097 में मिन वादनी का 1/3 हिस्सा व अमरसिंह प्रतिवादी का हिस्सा 12 ऐयर सुशीला प्रतिवादी का हिस्सा 25 ऐयर दर हिस्सा 1/6 व कमला, भवानी प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा व मदनलाल प्रतिवादी का 1/5 हिस्सा है । पक्षकारान वादनी एवं प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर उक्त हिस्सेनुसार काबिज व दखिल है । विवादित आराजी पक्षकारान की अबट अविभाजित सम्पति है जिसमें हरेक पक्षकारान का हिस्सा अनुसार हिस्सा व कब्जा है । मिन वादनी ने विवादित आराजी रामप्रसाद मीणा से जर्ये बयनामा दि० 6.1.2005 को तस्दीक किया गया है । इसी प्रकार मिन वादनी ने श्रीमती चन्द्री स्त्री-सूरज मीणा के हकूक कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी जर्ये बयनामा दि० 17.10.2005 को खरीद की है । मिन वादनी का अपने हिस्से की आराजी पर नेकनियति से काबिज व दखिल है लेकिन प्रतिवादी असल मिन वादनी की आराजी में पैदावार कुल काश्त कार्य में रूकवट एवं मजाहमत करते हैं । विवादित आराजी को बिना तकसीम कराये, रहन, बय आदि करने पर उतारू हैं । इसलिए उन्हें पाबन्द किया जावें व डिक्की तकसीम आराजी वाके भूगोर वादनी को 1/3 हिस्से की विवादित आराजी में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी पर कब्जा असल प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें तथा राजस्व रेकार्ड में अमल किया जावें । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिसमें से प्रतिवादी सं० 2, 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर वादी का वाद दि० 06.06.2011 को प्राथमिक डिक्की कर दिया जिस निर्णय व डिक्की दि० 06.06.2011 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । अपीलांट द्वारा अंतिम डिक्की की भी अपील की गई है । दोनों पत्रावलियों को एक साथ निर्णय किया गया । रेस्पो० को जर्ये सम्मन तलब किया गया लेकिन बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं आये । इसलिए तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट ना तो कभी अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर हुआ और ना अपनी ओर से किसी वकील आदि को नियत किया गया और ना ही अपनी ओर से कोई जवाब दावा आदि पेश किया गया है बल्कि अपीलांट के खिलाफ एकतरफा में प्राथमिक डिक्की पारित की गई है तथा समस्त कार्यवाही मिथ्या व फर्जकारी पर आधारित है ।

बहस में आगे बताया कि पक्षकारान जाति से मीणा है व कानूनन अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं एवं हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम से गर्वन नहीं होते हैं कि जिस कारण कानूनन किसी भी औरत का यानि बेवा का व मृतक की पुत्री का कोई अधिकार नहीं

हो सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना इस कानूनी बिन्दु पर विचार किये हुए वाद गलत तौर पर डिक्री किया है ।

उन्होंने आगे कथन किया कि अपीलांट के अलावा अन्य प्रतिवादीगण ने अपना जवाब दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है व कानूनन अधीनस्थ न्यायालय को दावा व जवाब दावा के आधार पर विवाधक बिन्दु कायम करते हुए अपना निर्णय पारित करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री पारित करने के बाद अंतिम डिक्री भी पारित कर दी जिसमें अपीलांट को नहीं सुना गया व अपीलांट के खिलाफ एकतरफा में आदेश पारित किया गया है ।

मेरा अपील में कहना है कि चरपांदगी से फर्जी तामील कराकर बंटवारा करा लिया । मुझे कोई नोटिस नहीं दिया तथा ना ही हमें सुना गया । चरपांदगी नोटिस का अवलोकन कराया । तामील कुनिन्दा की उचित रिपोर्ट नहीं है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए अपील अपीलांट तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया ।

उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 2015 पेज 125 आर.एल.डब्ल्यू. 2007 पेज 37, डब्ल्यू.एल.सी. 2016 पेज 96 प्रस्तुत किये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय के निर्णय एवं रेकार्ड का भी अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । साथ ही अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

अभिभाषक अपीलांट का बहस में मुख्य तर्क यही रहा है कि तहत न्यायालय में चरपांदगी से फर्जी तरीके से तामील करवाकर वादी/असल रेस्पोंडने बंटवारा करा लिया जबकि मुझे कोई नोटिस जारी नहीं किया गया तथा ना ही तहत न्यायालय द्वारा मुझे सुनवाई का अवसर दिया गया । तामील सही नहीं करवायी गयी है । तहत न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए बंटवारा किया है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहतना से अवलोकन किया गया जिसमें बउनवान दुर्गादेवी बनाम अमरसिंह वगै० वाद सं० 1/70 रजू दि० 10.7.2007 एवं 21.3.2011 की आदेशिका दि० 27.9.2007 के अनुसार जिसमें प्रतिवादी सं० 2 सुशीला पत्नि शिवकुमार एवं प्रतिवादी सं० 4 भवानी पुत्र सूरज जो इस प्रकरण में भवानी अपीलांट है की ओर से अभिभाषक श्री धारासिंह न्यायालय उपस्थित आये है जिनका वकालतनामा तहत न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है ।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दि० 6.6.2011 का भी अवलोकन किया गया जिसमें यह निर्णय सह खातेदारान के मध्य विभाजन के वाद से संबंधित है तथा इसमें पारित आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं । विभाजन के वाद में प्राथमिक डिक्री में सह खातेदारों के मध्य हिस्से अनुसार बंटवारा बाबत प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है और कुरे रिपोर्ट मंगवाये जाते हैं जिसमें कोई गलती नहीं है । इसके अलावा एकतरफा कार्यवाही / तामील नहीं कराये जाने की अपीलांट की प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं होना प्रतीत होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया है किन्तु उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं देना बताना अपीलांट का तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है ।

बउनवान भवानी बनाम श्रीमती दुर्गादेवी  
अपील सं० 55/2015

इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो प्राथमिक डिक्री पारित की है उसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय व डिक्री दि० 06.06.2011 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
(कमल राम मीना)

राजस्व अपील प्राधिकारी,  
अलवर